

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरु

क्रमांक : प्र.गा.स./2021/ 178/2021

दिनांक : 16.11.2021

निर्णय:-

प्रार्थी श्री.....मुष्पादेवी.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....चुनाराम.....
ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम.....धीरासर बीकान.....पटवार मण्डल.....जासासर.....
तहसील चूरु जिला चूरु की चालू जमाबन्दी सम्वत्.....2070-73.....के खाता संख्या.....66.P2.....में
खातेदार/गैर खातेदार का नाम/जाति.....पिचू पुत्री चुनाराम.....अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है।
जिसे सम्मानजनक रूप से.....मुष्पादेवी पुत्री चुनाराम.....अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन
पत्र की जांच पटवारी हल्का.....जासासर.....से करवाने पर पटवारी ने.....पिचू पुत्री चुनाराम.....के
बजाय.....मुष्पादेवी पुत्री चुनाराम.....करना उचित बताया। तहसीलदार, चूरु ने भी उक्त खाते में.....पिचू पुत्री चुनाराम.....
के बजाय.....मुष्पादेवी पुत्री चुनाराम.....करना उचित बताया।

अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम
369 राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत ग्राम.....धीरासर बीकान.....
के खाता संख्या.....66.P2.....में खातेदार/गैर खातेदार का नाम/जाति.....पिचू पुत्री चुनाराम.....
के स्थान पर सम्मानजनक रूप से.....मुष्पादेवी पुत्री चुनाराम.....दर्ज करने के आदेश दिया जाता है। तहसीलदार,
चूरु तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करें।

178/2021/360
16/11/2021

15/11/21
उपखण्ड अधिकारी,
(Land Record Officer)
चूरु

